निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम ओर आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

❖ 169, चित्तौड़गढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ, कि—

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (नाम) 9 कृष्ण वाटिका मधुवन सेंती चित्तौड़गढ़ (पता) (जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए/की गई।)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई

स्थान :

चित्तौडगढ़

तारीख:

11 दिसम्बर 2018



रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र चित्तौड़गढ़ (169)

रिटर्रिंग अधिकारी चित्तौड़गढ़ (१६९) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र **उपखण्ड अ**धिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज)

Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

- ❖ Election to the Legislative Assembly of State of Rajasthan from 169-Chittorgarh Assembly Constituency.
- ❖ In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951. read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961. I delcare that

Shri CHANDRABHAN SINGH AAKYA (Name) 9 Krishna Vatika Madhuwan Colony Senthi Chittorgarh (Address) [sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognised / registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:

Chittorgarh

Date:

11th December 2018

Returning Officer AC Chittorgarh 169



रिटरिंग अधिकारी चित्तौड़गढ़ (१६९) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज)